भारतीय जनता पार्टी–हिमाचल प्रदेश

प्रदेश कार्यालय

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 05.09.2018

हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री गणेश दत ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का धारा 118 के बारे में शोर मचाना ऐसा है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली का हज को जाना। पार्टी उपाध्यक्ष ने कहा कि 1972 के बाद जितनी बार भी धारा 118 में संशोधन हुआ है वह सब कांग्रेस के शासन में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने धारा 118 में कभी भी अपने कार्यकाल में कोई संशोधन नहीं किया।

श्री गणेश दत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने 1972 से अब तक धारा 118 में 6 बार अपनी सुविधा के अनुसार संशोधन किया तथा अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अपनी सुविधा अनुसार संशोधन किया। उन्होनें आरोप लगाया कि कांग्रेस राज में पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से करोड़ों रूपये की भूमि की खरीददारी व सेल हुई और प्रदेश सरकार के खजाने को भारी नुकसान हुआ है। 1972 से अब तक 46 वर्षों में कांग्रेस की सरकारों ने बाहरी लोगों को करोड़ों की जमीनें बेची है और 'हिमाचल फॉर सेल' का आरोप भाजपा के सिर मढ़ा है।

भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री डा0 यशवंत सिंह परमार ने एक बहुत ही दूरदर्शी निर्णय लिया था जिसमें उन्होनें कृषि योग्य भूमि को बिना सरकार की अनुमति के बेचने–खरीदने में रोक लगा दी थी जिसमें कि हिमाचल के गरीब किसान की भूमि बची रहे और गरीब किसान भूमिहीन नहीं बनने पाये। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने 6 बार संशोधन कर गरीब किसान की भूमि को लुटाने का रास्ता खोला और अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम हिमाचल को नहीं बिकने देंगे।

भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि कोई भी भूमि का मालिक अपनी जरूरत एवं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी आवश्यकता के अनुसार जमीन बेचता है। एक ओर कांग्रेस ने भूमि की बिक्री पर सरकार का अंकुश लगा दिया था, दूसरी ओर पावर ऑफ अटॉर्नी में करोड़ों रूपयों की डील होती रही जिससे सरकार के राजस्व को घाटा पहुंचा और भू–माफिया अपनी इच्छा अनुसार जमीन की खरीद फरोक्त करते रहे।

भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के लोग बार–2 बयान देते हैं कि उनकी सरकार ने बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर पाबंदी लगा रखी थी, वास्तव में भूमि सुधार एवं मुजारा कानून की धारा 118 में बाहरी व्यक्ति नहीं है उसमें गैर कृषक शब्द है इसलिए जिस किसी भी व्यक्ति के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है वह जमीन नहीं खरीद सकता, चाहे वह हिमाचल का मूल निवासी ही क्यों न हो। पार्टी उपाध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई परिवार है जो हिमाचल के मूल निवासी है लेकिन वह गैर कृषक है जैसे पुराने हिमाचल के कई परिवार अपनी जमीन बेच कर शहरों में बस गये और अब वह गैर कृषक है तो वे भी सरकार की बिना अनुमति के जमीन नहीं खरीद सकते।

भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने भूमि सुधार व मुजारा कानून को इतना पेचीदा बना दिया है कि अब हर बार इसका नाम लेते ही चारों ओर शोर भी मच जाता है और रसूकदार जी0पी0ए0 पर जमीन की खरीद फरोक्त करते रहते हैं और कांग्रेस ने ही धारा 118 में हिमाचल फॉर सेल का रास्ता खोला है।

प्रदेश मीडिया प्रभारी